(69)

कोर्ट फी Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Rs.2 COURT FEE INDIA भारत दो रुपये TWO RUPEES 2 रु.

Rs.2 COURT FEE INDIA भारत दो रुपये TWO RUPEES 2 रु.

1 रु. कोर्ट फी Re.1 COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0 प्र0

प्र0 क.............. / 09–10 निगरानी - R - 1200 - II / 2010

1. बाबूलाल गुमान सिंह आयु 65 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम उनारसीकलॉ तहसील लटेरी जिला विदिशा म0प्र0
2. बीरेन्द्र सिंह पुत्र बाबूलाल आयु 45 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम उनारसीकलॉ तहसील लटेरी जिला विदिशा म0प्र0
3. सीताराम पुत्र बाबूलाल जाति यावद निवासी ग्राम उनारसीकलॉ तहसील लटेरी, जिला विदिशा म0प्र0.......................................आवेदकगण

डी0 चतुर्वेदी अभिभाषक
द्वारा आज दि0.............................को प्रस्तुत ।
27/08/10
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

विरूद्ध

म0प्र0 राज्य...अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्र0क0 0103 / अपील / 9–10 में पारित आदेश दिनांक 13 / 8 / 10 के विरूद्ध निगरानी आवेदन अन्तर्गत धारा 50 सहपठित धारा 8 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

सविनय आवेदन आवेदकगण की ओर से सादर प्रस्तुत है ।

D Chaturvedi 27/8/10

प्रकरण के तथ्य :–

1. ग्राम उनारसीकलॉ में भूमि सर्वे कमांक 733 रकबा 39.975 है0 स्थित है, उक्त भूमि पूर्व से राजस्व अभिलखों में काबिल कास्त के रूप में चली आ रही है । आवेदक 2–2 है0, भूमि पर संन 1984 के पूर्व से उक्त भूमि पर कृषि कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करते है। आवेदक भूमिहीन व्यक्ति है, तथा उक्त भूमि के अलावा उनके पास कोई भूमि नहीं है। आवेदकगण को पट्टे पर

27.8.10

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1200-दो/10 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई क़लेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** 3	